

रौडर

22/8/24 पत्रावली पेश हुई। पार्थीगण मंत्र अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। बार-2 व रक-रक का पक्षकारण
व अधिवक्ताओं को आवाज लगाई गई। वकील
उपस्थित नहीं आए। पार्थीगण मंत्र अधिवक्ता
न्यायालय में कोर्ट नहीं हुए। अतः पार्थीगण
का प्राथमिक अफ़म हाजरी व अफ़म पेशी में
बारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सांडल जिला भीलवाड़ा